न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–122 सन् 2020

अचल प्रसाद वो अन्य..................वादीगण।

बनाम

हरेन्द्र प्रसाद व अन्य...........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 03.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 26 नियम 10ए सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद वादीगण ने दाखिल कर प्रार्थना किया है कि सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिस की जायदाद वादीगण की है एवं प्रतिवादीगण के द्वारा जबरन अवैध ढंग से विवादित जायदाद के पश्चिमी अंश पर डंडार तोडत्र कर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, जिनको लेकर मुकदमा किया गया है। इस मुकदमा की विवादित जमीन जिसके विस्तृत विवरण सिडियुल नं0 01 एवं 02 में दिया गया है उसका वैज्ञानिक ढंग से नापी कराना नितांत आवश्यक है। नापी के लिए किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि इस मुकदमा की विवादित जायदाद के वैज्ञानिक ढंग से नापी के लिए किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा की जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा दिनांक 03.09.2022 को आवेदन दाखिल कर विवादित भूमि पर किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन हेतु दाखिल किया है। वादी ने अपने आवेदन में कथन किया है कि

प्रतिवादी विवादित जमीन पर अवैध ढंग से पश्चिमी डंडार को तोड़ कर रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में विवादित जमीन का वर्तमान वस्तुत स्थिति अभिलेख पर लाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 03.09.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त शुल्क मो0 3000/–रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक ........................ को वादी के साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।